अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
31/03/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 34/2012** **राजेन्द्र प्रसाद महतो एवं अन्य बनाम् लगनू उरांव** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद में उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या––43-R15/2007-08 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। इस वाद को दिनांक–27.09.2014 सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। विपक्षी को नोटिस प्रेषण के पश्चात् भी तथा स्मारित करने के पश्चात् भी तामिला प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तथा विपक्षी न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुये। आवेदकों के तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–25.06.2018 को दर्ज करायी गयी। दिनांक–27.05.2019 को नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तथा आवेदक भी उपस्थित रहे। पुनः उक्त तिथि के पश्चात् आवेदक अथवा विपक्षी न्यायालय से लगातार अनुपस्थित रहे। आवेदकों को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–28.02.2022, 10.03.2022, 21.03.2022 तथा 28.03.2022 को अंतिम मौका दिया गया किन्तु उभयपक्ष न्यायालय से अनुपस्थित रहे। अंततः उपलब्ध कागजात के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत् मामले में एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–95/1987–88 में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा मौजा–बाजपुर, खाता नम्बर–191, प्लॉट नम्बर–145, रकबा–1.81 एकड़ भूमि के वापसी हेतु आदेश पारित किया गया था। अपीलीय न्यायालय में भी लगातार कोशिश के बाद भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुये, जिसके पश्चात् एक पक्षीय सुनवाई कर अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा उभयपक्षों को सुनते हुये तथा सभी तथ्यों की विवेचना करते हुये आदेश पारित किया गया है। उपायुक्त, राँची द्वारा पूर्व में अपील वाद संख्या–275-R15/1996-97 में पूरन महतो बनाम् लेगवा उरांव के वाद में विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा हेतु वाद को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसके	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	पश्चात् विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा उभयपक्षों की विस्तृत विवेचना करते हुये भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया। खतियान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि दया महतो जो विपक्षी के पूर्वज है के नाम से वकास्त भूईंहरी पहनई दर्ज है। आवेदक उक्त भूमि को 1935 में मौखिक रूप से उनके पूर्वज रघु महतो के नाम से बंदोबस्त करने का दावा करते है। पहनई भूमि मुख्यतः धार्मिक कार्यों के लिये निर्धारित भूमि है। उक्त भूमि का अन्य उपयोग किया जाना वांछित नहीं है। यह भूमि किसी भी प्रकार से हस्तांतरणीय भी नहीं है। धारा–145 में पारित आदेश को आधार बनाकर उक्त भूमि पर आवेदकों के तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। विचारणीय है कि आवेदकों के पास उक्त भूमि किस प्रकार से उनके पूर्वजों के द्वारा प्राप्त की गयी, इस विषय पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। धारा–145 का मुकदमा वर्ष–1983 में दायर किया गया था, जिसमें वर्ष–1985 में आवेदकों का दखल पाया गया है। यह भी विचारणीय है कि उक्त मुकदमा संचालन के दौरान ही पूरन महतो जिनके पक्ष में आदेश पारित हुआ की मृत्यु हो चुकी थी। किन्तु उनके वारिसों को कभी भी प्रतिस्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त वाद में एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किये जाने की भी पुष्टि होती है। स्पष्टतः भूईंहरी पहनई भूमि पर आवेदकों के द्वारा दखल किया गया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उक्त भूमि हस्तांतरणीय है, जिस कारण विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी हेतु आदेश पारित किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा उसी आदेश को सम्पुष्ट किया गया। इस न्यायालय में ऐसा कोई नया तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि प्रश्नगत् आदेश में हस्ताक्षेप की आवश्यकता हो। वर्णित परिस्थिति में यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपायुक्त, राँची को प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित 31/3/22 प्रमण्डलीय आयुक्त Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI Date: 2022.07.21 15:20:00 +05:30 Location: 192.168.1.40 31/3/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	